

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग / राज्य सरकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51) कार्मिक/क-2 / 88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद के कुल 47 अभ्यर्थियों की अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत दिनांक 08.01.2022 को अनुमोदन किया गया था। अनुमोदित अभ्यर्थियों का संलग्न सूची अनुसार उनके नाम के आगे अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है शेष शर्तें मूल आदेश दिनांक 08.01.2022 के अनुसार यथावत रहेंगी :-

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनेरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.10 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जावेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.10 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की

अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।
18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवें।
22. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावें।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चश्रेक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चरपा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)



(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 28-1-2022

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2021 जयते
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,संभाग को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक के कुल प्रकरण) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुवे रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
7. श्री.....को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवें।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक(प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :- कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शियिरा/माध्य साप्र/ए-4/ 3901/ नियुक्ति मूल/2021/ दिनांक 08.01.2022 के तहत 47 अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया गया था। अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित जिला आवंटित किया जा रहा है। शेष शर्तें मूल अनुमोदन आदेश दिनांक 08.01.2022 के अनुसार यथायत प्रभावी रहेंगी। (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/-रुपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
1	अनिता लेखरा एमए 28.10.1987	पत्नी	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	आयुष गोटन व्याख्याता	04.05.21	जयपुर
2	मनीष शर्मा एम.कॉम. 02.04.1995	पुत्र	25.08.2021 कनिष्ठ सहायक	दिनेश कुमार शर्मा प्र.शा.स.	23.07.21	अलवर
3	ज्योति चौहान बीए. 30.07.1996	पुत्री	09.06.2021 कनिष्ठ सहायक	प्रेम सिंह चश्रेक	11.05.21	जयपुर
4	गौरव राजावत सी.सै. 10.07.1997	पुत्र	15.06.2021 कनिष्ठ सहायक	गजराज सिंह चश्रेक	05.05.21	दौसा
5	रेशमा यादव सी.सै. 24.07.1994	पत्नी	10.08.2020 कनिष्ठ सहायक	ओम प्रकाश यादव प्रधानाचार्य	19.06.20	जयपुर
6	श्वेता मीणा सी.सै. 10.03.1995	पुत्री	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	कालूराम मीणा अध्यापक	09.04.21	जयपुर
7	मनीष कुमार मीणा सी.सै. 28.10.1999	पुत्र	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	शंभु दयाल मीणा व.अ.	21.04.21	अलवर
8	रेखा शर्मा स्नातक 10.12.1994	पत्नी	09.10.2020 कनिष्ठ सहायक	हनुमान सहाय शर्मा कानि. क-2	16.08.20	जयपुर
9	आशीष कुमार शर्मा सी.सै. 10.03.1996	पुत्र	04.08.2021 कनिष्ठ सहायक	गणेश नारायण शर्मा अध्यापक	14.05.21	टोंक
10	अमिलाषा सिंह सी.सै. 16.06.2001	पुत्री	11.06.2021 कनिष्ठ सहायक	अंजना कुमारी वरि.अध्यापक	26.04.21	जयपुर
11	प्रज्ञा जैमन स्नातकोत्तर 20.06.84	पत्नी	14.06.2021 कनिष्ठ सहायक	हेमन्त कुमार कटारा वरिष्ठ अध्यापक	08.05.21	सोमाघोपुर
12	अनुराधा बी.ए. 25.09.1988	पत्नी	26.04.2021 कनिष्ठ सहायक	रमनलाल वर्मा अध्यापक प.राज.	18.03.21	जयपुर
13	रिशिका सिसोदिया बीए 16.08.1997	पुत्री	04.06.2021 कनिष्ठ सहायक	महेन्द्र प्रताप प्र.शा.स.	20.04.21	भरतपुर
14	गुरुदत्त वर्मा सी.सै. 05.05.2002	पुत्र	26.10.2020 कनिष्ठ सहायक	रामरतन मेघवाल अध्यापक पंराज	21.10.07	टोंक
15	पूनम सैनी एमए 11.02.1983	पत्नी	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	कृष्ण गोपाल सैनी व्याख्याता	07.05.21	अलवर
16	उमेश पालीवाल सी.सै. 26.01.2002	पुत्र	27.08.2020 कनिष्ठ सहायक	रधुवीर सिंह व.शा.शि.	09.12.17	अलवर
17	रामजीलाल मीणा सी.सै. 10.02.2001	पुत्र	15.07.2021 कनिष्ठ सहायक	खमजी राम मीणा वरिष्ठ अध्यापक	02.06.21	अलवर
18	धीरज कुमार साहू सी.सै. 28.03.1983	पति	06.01.2021 कनिष्ठ सहायक	बसन्ती साहू अध्यापक	03.12.20	भीलवाड़ा

(Handwritten Signature)

19	रोहित गोयर एग.ए. 10.07.1990	पुत्र	14.11.2019 कनिष्ठ सहायक	रामरयरूप गोयर कम्पाउण्डर क-2	01.11.19	भीलवाड़ा
20	ब्रह्मन्ती देवी शर्मा बी.ए. 08.02.1988	पत्नी	25.06.2021 कनिष्ठ सहायक	संदीप दाधीच क.स.	05.05.21	भीलवाड़ा
21	सीता कुमारी गुर्जर बी.ए. 02.07.1991	पत्नी	07.05.2021 कनिष्ठ सहायक	जयलाल गुर्जर अध्यापक प्राशि	27.03.21	भीलवाड़ा
22	युवराज प्रजापत सी.सै. 10.10.2001	पुत्र	25.01.2021 कनिष्ठ सहायक	सांवरलाल चश्रेक	15.12.20	भीलवाड़ा
23	रामेश्वर लाल सी.सै. 30.09.1992	पुत्र	13.07.2021 कनिष्ठ सहायक	मनोहर लाल चश्रेक	19.04.21	भीलवाड़ा
24	युवराज कुमावत सी.सै. 15.12.2001	पुत्र	16.07.2020 कनिष्ठ सहायक	कैलाश चन्द कुमावत अध्या. प्रा.शि.	07.09.17	भीलवाड़ा
25	मूमल राठौड सी.सै. 11.04.2000	पुत्री	05.03.2021 कनिष्ठ सहायक	बजरंग सिंह वरिष्ठ अध्यापक	23.01.21	भीलवाड़ा
26	नितीश कुमार राव सी.सै. 26.10.1999	पुत्र	06.08.2020 कनिष्ठ सहायक	शिवकुमारी व्याख्याता	21.02.15	पाली
27	जितेन्द्र कुमार तरुण सी.सै. 24.11.1999	पुत्र	25.04.2021 कनिष्ठ सहायक	नारायण राम मेघ सप्रअ.	01.04.21	भीलवाड़ा
28	ज्योति बिट्टू बी.ए. 30.10.1998	पत्नी	04.05.2021 कनिष्ठ सहायक	नरेन्द्र सिंह खिड़िया क.स.	08.04.21	बीकानेर
29	नीतिन गुलाटी सी.सै. 15.11.2001	पुत्र	14.09.2020 कनिष्ठ सहायक	हरजीत कौर प्र.अ. प्राशि.	26.10.11	भीलवाड़ा
30	मंजू कुमारी स्नातक 19.08.1992	पत्नी	11.06.2021 कनिष्ठ सहायक	महेश दाय्या व्याख्याता	01.05.21	सीकर
31	आशीष खत्री स्नातक 13.04.1994	पुत्र	18.05.2021 कनिष्ठ सहायक	नीरज कुमार खत्री स.प्र.अ.	25.04.21	भीलवाड़ा
32	मनीषा कविया बी.ए. 12.11.1998	पुत्री	09.09.2020 कनिष्ठ सहायक	कैलाश दान अध्यापक प.राज.	03.08.05	जैसलमेर
33	मैना जुणावा बी.ए. 12.06.1995	पत्नी	02.07.2021 कनिष्ठ सहायक	बलवन्त डूडी अध्यापक पं.राज.	10.05.21	भीलवाड़ा
34	मुकुल शिरीषवाल सी.सै. 12.08.1999	पुत्र	31.05.2021 कनिष्ठ सहायक	लड्डुराम माली व.अ.	23.04.21	स0माधोपुर
35	कमल सैनी बी.ए. 23.09.1996	पुत्र	09.04.2021 कनिष्ठ सहायक	मुरारी लाल माली चश्रेक.	11.03.21	स0माधोपुर
36	पिकी कुमारी नामा बी.ए. 05.07.1989	पत्नी	07.06.2021 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र कुमार छीपी व्याख्याता	01.05.21	स0माधोपुर
37	सौरभ कुमार सिसोदिया एग.ए. 07.12.1991	पुत्र	05.07.2021 कनिष्ठ सहायक	कलावती टाटावत अध्यापक	02.05.21	स0माधोपुर
38	मनीष मेरोठा सी.सै. 10.08.2002	पुत्र	22.08.2020 कनिष्ठ सहायक	हरिकिशन घोषी प्रबोधक पं. राज.	09.05.16	दौसा
39	भगवान राम सी.सै. 05.07.1994	पुत्र	08.03.2021 कनिष्ठ सहायक	नाथाराम चश्रेक माशि	23.01.21	पाली
40	राहुल भार्गव सी.सै. 20.04.2002	पुत्र	20.03.2020 कनिष्ठ सहायक	गौतमचन्द भार्गव प्रबोधक पंराज	18.01.20	पाली
41	महावीर सारण सी.सै. 10.10.2001	पुत्र	18.11.2019 कनिष्ठ सहायक	प्रेमाराम प्रबोधक पंराज	16.01.17	पाली

4/10/21

	प्रमप्रकाश सी.सै. 18.03.2002	पुत्र	20.03.2020 कनिष्ठ सहायक	पुरथाराम अध्यापक प्राशि	08.08.17	पाली
43	गोविन्द सैन सी.सै. 01.05.2003	पुत्र	07.07.2021 कनिष्ठ सहायक	दिनेश सैन कनिष्ठ सहायक माशि	17.04.21	पाली
44	पुष्पेन्द्रसिंह पंवार बीए 28.03.1996	पुत्र	14.10.2021 कनिष्ठ सहायक	सुरेश सिंह पंवार अध्यापक माशि	31.08.21	पाली
45	राकेश पुरोहित बीकॉम 14.07.1993	पुत्र	04.08.2021 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र प्रसाद पुरोहित प्रबोधक पंराज	09.07.21	पाली
46	नरपतसिंह सी.सै. 15.02.1976	पति	24.08.2020 कनिष्ठ सहायक	गोनू कंवर प्रबोधक पंराज	28.07.20	पाली
47	चित्रांश लोकेश माथुर बीए 28.09.1999	पुत्र	21.06.2021 कनिष्ठ सहायक	राशीश बाबू माथुर कनिष्ठ सहायक माशि	05.05.21	भीलवाड़ा

नोट :- क्र.सं. 14, 16, 24, 26, 29, 32, 41, 42 एवं 46 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक, शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते